न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 65/2020

प्रार्थीगण

1. सवाईराम पुत्र मूलाराम
2. तिलोकाराम पुत्र मूलाराम
3. पेम्पी बेवा मूलाराम

जाति मेगवाल माली निवासी अणखिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पोकरराम पुत्र दुर्गाराराम
2. रामूराम पुत्र दुर्गाराम
3. कालूराम पुत्र दुर्गाराम
4. मोतीराम पुत्र दुर्गाराम
5. पुखराज पुत्र दुर्गाराम
6. मु0 वनी बेवा दुर्गाराम
7. खीया पुत्र ताजाराम
8. अजाराम पुत्र ताजाराम
9. विशनाराम पुत्र ताजाराम
10. मु0 ढेली बेवा ताजाराम
11. गेनाराम पुत्र हुकमाराम
12. डूंगराराम पुत्र हुकमाराम
13. रिखबाराम पुत्र लाखाराम
14. बाबूलाल पुत्र डाउराम
15. हरखाराम पुत्र राणाराम

जाति मेगवाल निवासी अणखिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री नृसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 21/12/20

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नृसिंह सोलंकी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 मौजा अणखिया पटवार मण्डल नौखडा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 73/1 रकबा–10 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौजा अणखिया पटवार मण्डल नौखडा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 73/1 रकबा 28–10 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21/12/20 .... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
गुड़ामालानी